

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! परिपत्र !!

क्रमांक 12 / दो-11-2 / 2005 (भाग-2)

हरदा, दिनांक 10 / 02 / 2025

प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने के उपरांत बिना प्रभारी / पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति के न्यायालय परिसर के बाहर चले जाते हैं, जो कि उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही है।

अतः समस्त न्यायिक कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, समस्त न्यायिक कर्मचारीगण कार्यालय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने के उपरांत किसी आकस्मिकता की स्थिति में बिना प्रभारी / पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति के न्यायालय परिसर के बाहर नहीं जायेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय में उपस्थित होने के पूर्व की किसी आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित कर्मचारी अपने पीठासीन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी से मौखिक अनुमति प्राप्त करेंगे और इसके पूर्व उपस्थिति पंजी पर अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे और कार्यालय में उपस्थिति होने के पश्चात अपने पीठासीन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थिति का समय अंकित करेंगे।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ0क्रमांक 199(3) / दो-11-2 / 2005 (भाग-2)
प्रतिलिपि-यथानिर्देश :-

हरदा, दिनांक 11 / 02 / 2025

1. समस्त न्यायिक अधिकारी / प्रभारी अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. कोर्ट मैनेजर / उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
3. समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सिस्टम ऑफिसर / डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर जिला न्यायालय हरदा की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल व वाट्स-एप के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)